



## छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2022-01641

— समक्ष —

श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष

श्री राजीव कुमार टम्टा, सदस्य

मेसर्स बिलटेक इंजीनियर्स प्रा.लि.,  
द्वारा—अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव अग्रवाल,  
निवासी—चतुर्थ तल, सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड माल,  
जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

..... आवेदक

### विरुद्ध

सूर्या अपार्टमेंट्स पब्लिक वेलफेयर एसोसियेशन,  
द्वारा—सचिव श्री बी.डी. सिंह,  
निवासी—फ्लैट नं.—12, ब्लॉक—एच,  
सूर्या अपार्टमेंट्स, मॉडल टाउन,  
जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

..... अनावेदक

### उपस्थिति :-

- (1) श्री अभिनव कार्डेकर, अधिवक्ता वास्ते आवेदक।
- (2) श्री डेरेश्वर बंजारे, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक।

(प्रोजेक्ट—“सूर्या अपार्टमेंट्स”, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर—PCGRERA080618000114

### आदेश

(दिनांक—20 / 07 / 2022)

आवेदक मेसर्स बिलटेक इंजीनियर्स प्रा.लि., द्वारा—अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव अग्रवाल, निवासी—चतुर्थ तल, सूर्या ट्रेजर आईलैण्ड माल, जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—31 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप—ड (FORM-M) में आवेदन कर अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक का कथन है कि वह विवादित प्रोजेक्ट “सूर्या अपार्टमेंट्स” भिलाई, जिला—दुर्ग का प्रमोटर है तथा अनावेदक उक्त प्रोजेक्ट के रहवासियों का संघ है, जिसका गठन वर्ष 2013 में भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—11(4)(ई) के अनुसार किया गया है। आवेदक ने यह उल्लेखित किया है कि वर्ष 2001 व 2002 में नियमानुसार अनुमतियाँ प्राप्त कर प्रोजेक्ट का विकास किया गया है तथा वर्ष 2010 में प्रोजेक्ट का आंतरिक विकास कार्य—पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त हो चुका है। आवेदक ने प्रोजेक्ट के विभिन्न ब्लॉक्स (अ से जे) का भी भवन—पूर्णता प्रमाण—पत्र वर्ष 2005—2020 तक प्राप्त होने का

उल्लेख किया है। आवेदक ने यह भी बताया है कि वह ब्लॉक्स "के" का वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं करना चाहता है; इसलिये आवेदक ने उक्त ब्लॉक को छोड़कर शेष प्रोजेक्ट को छ.ग. रेरा में पंजीकृत कराया है। आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वह स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप प्रोजेक्ट का विकास कार्य करने हेतु बाध्य है और "के" ब्लॉक का विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इसका पंजीयन छ.ग. रेरा में नियमानुसार करायेगा। आवेदक के अनुसार विवादित प्रोजेक्ट के 216 फ्लैट्स में से अधिकांश फ्लैट्स के आबंटितियों द्वारा बुकिंग करा ली गई है और प्रोजेक्ट में निवास भी किया जा रहा है। आवेदक ने इस संबंध में अधिनियम की धारा-11(4)(डी) का उल्लेख करते हुये बताया है कि आबंटितियों के संघ का गठन हो जाने तक रखरखाव का कार्य करना आवेदक का दायित्व है। किन्तु आबंटिती संघ के गठन उपरांत रखरखाव का दायित्व आबंटितियों का है। आवेदक ने रहवासी संघ द्वारा रखरखाव का दायित्व सौंपे जाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक 01.08.2019 प्राप्त होने का भी उल्लेख किया है। आवेदक ने संघ को रखरखाव का दायित्व सौंपने का प्रयास भी किया है। किन्तु अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2021 के माध्यम से उक्त दायित्व ग्रहण करने से इंकार किया गया है। आवेदक ने अधिनियम की धारा-11(4)(डी) अनुसार स्वयं को रखरखाव में व्यय की गई राशि रखरखाव शुल्क के रूप में प्राप्त करने का भी अधिकारी बताया है। आवेदक के अनुसार वह विगत 15 वर्षों से कॉलोनी का रखरखाव करते हुये रखरखाव शुल्क की मांग आबंटितियों से करता रहा है। किन्तु आबंटितियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे रखरखाव के पेटे में रूपये 10,77,420/- की प्राप्ति शेष है। आवेदक ने अधिनियम की धारा-19 (6) व 19 (7) का उल्लेख करते हुये आगे बताया है कि उसने पत्र दिनांक 27.05.2021 के माध्यम से अनावेदक संघ के सचिव को रखरखाव का दायित्व प्राप्त करने तथा लंबित रखरखाव की राशि को सुरक्षा निधि से कटौती करने उपरांत शेष राशि को अनावेदक को हस्तांतरित करने की सूचना प्रेषित की है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रखरखाव हेतु सोसायटी का आधिपत्य प्राप्त करने का दायित्व रहवासी संघ का होने के बावजूद भी पूर्व में अनावेदक ने उक्त दायित्व प्राप्त करने से इंकार किया है। किन्तु आवेदक ने पत्र दिनांक 06.06.2021 के माध्यम से प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर रखरखाव का दायित्व प्राप्त करने का उल्लेख किया है। आवेदक ने अनावेदक को रखरखाव के विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि तथा लंबित भुगतान के संबंध में आबंटितियों की जानकारी भी प्रदान की है। साथ ही आवेदक ने अनावेदक को खाते का विवरण व अन्य जानकारी प्रदान करने का भी लेख किया है। आवेदक के अनुसार अनावेदक द्वारा बिना किसी वैध कारण के रखरखाव का दायित्व प्राप्त नहीं किये जाने की वजह से आवेदक को रोजाना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आवेदक ने अनावेदक संघ के सदस्यों द्वारा रखरखाव शुल्क में वृद्धि करने पर भी

सहमत नहीं होने का लेख किया है, जबकि विगत वर्षों में सेवा उपलब्ध कराने तथा सामग्रियों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। ऐसी परिस्थिति में आवेदक के लिये रखरखाव का कार्य करना आर्थिक भार बन गया है। अतः आवेदक ने रेरा अधिनियम के उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों का उल्लेख करते हुये अनावेदक संघ को विवादित प्रोजेक्ट का रखरखाव संबंधी दायित्व प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने रखरखाव के पेटे में अप्राप्त राशि रूपये 10,77,420/- की मय ब्याज वसूली हेतु सुरक्षा निधि से राशि कटौती कर दिलाये जाने, विवादित प्रोजेक्ट में विकास व निर्माण कार्य करने हेतु कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु अनावेदक संघ को निर्देशित किये जाने तथा अन्य राहत प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुये यह लेख किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आम मुख्त्यारनामा की अवधि समाप्त होने के कारण उक्त मुख्त्यारनामा अवधि व शून्य है। अतः अनावेदक ने श्री संजीव अग्रवाल के वैध प्रतिनिधि नहीं होने का कथन किया है। अनावेदक के अनुसार आवेदक ने ब्रोशर के अनुरूप प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में सुविधाओं का विकास नहीं किया है, जो अधिनियम की धारा-12 का उल्लंघन है। अनावेदक ने यह भी बताया है कि आवेदक ने संघ के गठन में कोई सहयोग नहीं प्रदान किया है। अनावेदक ने आगे लेख किया है कि आवेदक ने प्रोजेक्ट के रखरखाव में व्यय की गई राशि के संबंध में भी कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। अनावेदक के अनुसार आवेदक द्वारा सुविधा विहीन परिसर का हस्तांतरण किये जाने के कारण अनावेदक ने हस्तांतरण लेने से इंकार किया है। अनावेदक ने आवेदक द्वारा विकास अनुज्ञा क्रमांक-495, दिनांक 01.03.2001 की कंडिका-4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 व 16 का पालन नहीं किया है। अनावेदक ने आगे बताया है कि रखरखाव की मांग संबंधी शिकायत के निराकरण हेतु डिफाल्टर आबंटितियों की सूची व राशि संबंधी विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है; जो आवेदक ने प्रस्तुत नहीं किया है। अनावेदक के अनुसार रखरखाव शुल्क की मांग आवेदक को पृथक-पृथक रूप से परिवाद प्रस्तुत कर संबंधित आबंटितियों से करना चाहिये। अनावेदक ने यह भी लेख किया है कि रखरखाव शुल्क का भुगतान अनावेदक संघ का दायित्व नहीं है। अनावेदक ने अतिरिक्त कथन किया है कि आवेदक ने रूपये 5,000/- प्रति आबंटिती सुरक्षा निधि की राशि प्राप्त की है, जिसे संघ को प्रदान किया जाना है। इसलिये अनावेदक ने उक्त राशि में से रखरखाव शुल्क की वसूली को अनुचित व

विधि विपरीत बताया है। अतः अनावेदक ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में उल्लेखित तथ्यों को भ्रामक व सारहीन बताते हुये अस्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदक के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-
  1. क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय है ?
  2. क्या आवेदक, प्राधिकरण के माध्यम से अनुतोष प्राप्ति का हकदार है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या होगा ?
5. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-** आवेदक ने वर्तमान शिकायत के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट "सूर्या अपार्टमेंट्स" भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का रखरखाव हेतु हस्तांतरण आवासीय संघ को किये जाने, रखरखाव की लंबित राशि का भुगतान सुरक्षा निधि से कराये जाने की राहत चाही है। परन्तु अनावेदक ने यह बताया है कि विवादित प्रोजेक्ट में ब्रोशर अनुसार सुविधाओं का विकास अपूर्ण है। अनावेदक ने यह भी कथन किया है कि आवेदक ने रखरखाव शुल्क के भुगतान से संबंधित विभिन्न रहवासियों के व्यक्तिगत दायित्व से संबंधित वाद विषय के निराकरण हेतु संबंधित रहवासियों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने के स्थान पर केवल अनावेदक संघ को पक्षकार बनाया है, जो संघ का दायित्व नहीं है।

उभय पक्षों के उपरोक्त अभिकथनों के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। आवेदक ने अपने रिजाइन्डर में अनावेदक के उक्त अभिकथनों का खंडन किया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि रखरखाव शुल्क का भुगतान नियमित रूप से करना प्रत्येक आबंटिती का निजि दायित्व है। आवेदक ने विभिन्न रहवासियों से प्राप्ति हेतु शेष रखरखाव की राशि का उल्लेख करते हुये साक्ष्य के रूप में सूची संलग्न की है। लेकिन आवेदक ने उक्त सूची में उल्लेखित किसी भी रहवासी को वर्तमान प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। इसके स्थान पर आवेदक ने रहवासी संघ को अनावेदक पक्ष के रूप में संयोजित किया है। प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है, जिससे यह प्रतीत हो कि अनावेदक संघ द्वारा रखरखाव राशि प्राप्त कर राशि का भुगतान किया गया है। विभिन्न रहवासियों द्वारा रखरखाव के पेटे में भुगतान हेतु शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित रहवासियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। चूँकि आवेदक ने व्यक्तिगत दायित्व के संबंध में रहवासियों/आबंटितियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। अतः भुगतान हेतु लंबित रखरखाव शुल्क संबंधी वाद

विषय पर कोई सुनवाई किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः आवेदक द्वारा पक्षकारों का समुचित संयोजन नहीं किये जाने के कारण लंबित रखरखाव राशि संबंधी वाद कारण भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत प्राधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं है। परन्तु वर्तमान शिकायत में प्रोजेक्ट के रखरखाव संबंधी दायित्वों को रहवासी संघ को सौंपने संबंधी विषय पर भी विचारण किया जाना है। उक्त विषय पर कोई भी निष्कर्ष परिवाद का गुण-दोष के आधार पर विचारण करने उपरांत ही संभव है। निष्कर्षतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत आंशिक रूप से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत पोषणीय है।

6. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 :-** पूर्व वर्णित विचारणीय बिन्दु की विवेचना से यह स्पष्ट है कि रखरखाव के मद में भुगतान हेतु लंबित राशि व उसके सुरक्षा निधि से मय ब्याज भुगतान संबंधी वाद विषय का निराकरण आवेदक द्वारा संबंधित पक्षकारों का संयोजन नहीं किये जाने के कारण वर्तमान शिकायत के माध्यम से संभव नहीं है। आवेदक, यदि चाहे तो उक्त वाद विषय के निराकरण हेतु यथोचित पक्षकारों का संयोजन कर प्राधिकरण के समक्ष पुनः शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्नाधीन प्रकरण में आवेदक ने अनावेदक संघ को विवादित प्रोजेक्ट के नियमित रखरखाव का दायित्व प्राप्त करने हेतु निर्देशित किये जाने की भी राहत चाही है। इस संबंध में अनावेदक ने अपने जवाब में आवेदक द्वारा ब्रोशर के अनुरूप विकास कार्यों के अपूर्ण होने व प्रोजेक्ट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने का लेख किया है। अनावेदक ने आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट का समुचित रखरखाव नहीं किये जाने का भी उल्लेख किया है। साथ ही अनावेदक ने आवेदक द्वारा ब्लॉक-“के” का निर्माण कार्य नहीं किये जाने का भी लेख किया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक ने स्वयं ब्लॉक “के” का निर्माण नहीं होने तथा भविष्य में किये जाने का लेख किया है। हाँलाकि अनावेदक ने प्रोजेक्ट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने तथा समुचित रखरखाव नहीं होने का लेख किया है। किन्तु आवेदक ने अपने उक्त कथन को प्रमाणित करने हेतु कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोई स्थल निरीक्षण नहीं कराया गया है, इसलिये प्राधिकरण आवेदक के सुविधाओं संबंधी उक्त अभिकथनों की पुष्टि नहीं कर सकता।

हाँलाकि अनावेदक ने प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण होने उपरांत ही प्रोजेक्ट के रखरखाव का दायित्व प्रदान करने हेतु आवेदक को निर्देशित करने की राहत चाही है। परन्तु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 (4) (डी) में यह भी प्रावधानित है कि प्रमोटर “आबंटितियों के संगम द्वारा परियोजना के अनुरक्षण का कार्यभार ग्रहण करने तक युक्तियुक्त प्रभारों पर अनिवार्य

सेवायें उपलब्ध कराने और उन्हें बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।” साथ ही लेकिन अधिनियम की धारा-11 (4) (ई) अनुसार प्रमोटर का यह भी दायित्व है कि वह “लागू विधियों के अधीन आबंटितियों का एक संगम या उनकी एक सोसायटी या सहकारी सोसायटी या उनका एक परिसंघ बनाने को समर्थ बनायेगा: परन्तु स्थानीय विधियों के अभाव में, परियोजना के अधिकांश आबंटिती द्वारा यथास्थिति अपना भूखण्ड या अपार्टमेंट या भवन बुक करने के तीन मास के अवधि के भीतर आबंटितियों का संगम चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, बनाया जायेगा;”। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रोजेक्ट में रहवासी संघ का गठन वर्ष 2013 में हो चुका है, जिसे आवेदक/प्रमोटर ने अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया है। वर्तमान में आवेदक ने उक्त संघ को ही रखरखाव का दायित्व सौंपे जाने की राहत चाही है। अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी छ.ग. नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 2013 के नियम-11 के उपनियम-7 में संशोधन करते हुये यह प्रावधानित किया गया है कि रहवासी कल्याण संघ का गठन, पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तीन माह के भीतर अथवा 50 प्रतिशत इकाईयों के विक्रय होने पर (जो भी पहले हो) करना होगा और संघ के गठन तक प्रमोटर कॉलोनी के रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। यदि प्रोजेक्ट की 50 प्रतिशत से अधिक यूनिट्स का विक्रय कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व हो जाता है, तो ऐसे विक्रय के तीन माह के भीतर रहवासी संघ का गठन करवाते हुये रखरखाव का दायित्व संघ को सौंपने हेतु प्रमोटर उत्तरदायी है। अर्थात् उपरोक्त नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट में रखरखाव का दायित्व रहवासी संघ को सौंपने हेतु कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अधिनियम की धारा-19 (6), (7) व (9) अंतर्गत भी आबंटितियों का यह कर्तव्य है कि वह नियमित रखरखाव शुल्क का भुगतान करते हुये संघ के गठन में प्रतिभागी बने। अर्थात् आबंटितियों के संघ का यह दायित्व है कि वह अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत प्रमोटर द्वारा सौंपे जाने पर प्रोजेक्ट के रखरखाव के कार्य संबंधी उत्तरदायित्व को ग्रहण करे और इसके लिये प्रोजेक्ट को पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। अतः अनावेदक को प्रोजेक्ट के रखरखाव का कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु आवेदक को रहवासी संघ को रखरखाव संबंधी ब्यौरे व आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया जाना चाहिये। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का कार्यभार ग्रहण करने उपरांत भी आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किये जा सकते हैं। यदि उक्त निर्माण के दौरान अनावेदक/प्रमोटर द्वारा किन्हीं सामान्य सुविधाओं को क्षति पहुंचाई जाती है, तो ऐसी सुविधाओं के सुधार हेतु प्रमोटर उत्तरदायी है। इसी प्रकार रखरखाव का दायित्व सौंपने उपरांत भी प्रमोटर प्रोजेक्ट में अपूर्ण सुविधायें को पूर्ण करने के लिये उत्तरदायी है। अतः रखरखाव का कार्यभार प्राप्त करने उपरांत अनावेदक द्वारा आवेदक को निर्माण कार्य

करने से रोका नहीं जा सकता। अतः इस संबंध में भी अनावेदक को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परन्तु यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रमोटर, रखरखाव का दायित्व सौंपने के उपरांत भी स्वीकृत ले-आउट/अनुज्ञाओं अनुसार सुविधाओं को पूर्ण करने हेतु बाध्य है। इसलिये अधिनियम की धारा-37 व 38 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आवेदक को स्वीकृत ले-आउट व अनुज्ञाओं के अनुरूप सुविधाओं का विकास पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदक का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-
  1. अनावेदक, दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के रखरखाव संबंधी कार्यभार को ग्रहण करना सुनिश्चित करे। आवेदक भी उक्त रखरखाव से संबंधित खाते के ब्यौरे व अन्य आवश्यक जानकारी अनावेदक को कार्यभार सौंपते समय प्रदान करना सुनिश्चित करे।
  2. आवेदक, प्रोजेक्ट को रखरखाव हेतु हस्तांतरित करने उपरांत प्रोजेक्ट में नियमानुसार विकास कार्य कर पूर्ण करना सुनिश्चित करे। अनावेदक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त संबंध में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

सही / -  
(राजीव कुमार टम्टा)  
सदस्य

सही / -  
(विवेक ढाँड)  
अध्यक्ष